न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 29/2014
आर.सी.एम.एस. : 2014/00080

सायल :–	**बनाम**	**गैरसायलः–**
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		दशरथसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत निवासी कोठार पुलिस थाना नाना

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल की ओर से मनीष ओझा उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 31/01/2019

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 15.04.2014 को गैरसायल दशरथसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी कोठार, पुलिस थाना नाना, जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना नाणा, पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2006 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिन में से 2 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	नाणा	835/2006	16/54 Ex. Act	दिनांक 12.06.2013 को ए.सी.जे.एम. कोर्ट सुमेरपुर से सजा
2	नाणा	294/2013	16/54 Ex. Act	दिनांक 18.11.2013 को ए.सी.जे.एम. कोर्ट सुमेरपुर से सजा
3	नाणा	301/2013	341, 323/34 IPC	दिनांक 18.11.2013 को जे.एम. कोर्ट बाली से राजीनामा
4	नाणा	323/2012	457, 380 IPC	न्यायालय में विचाराधीन

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल दशरथसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत निवासी कोठार पुलिस थाना नाणा जिला पाली कच्छी शराब बेचने, झगडा करने व चोरी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन नकबजनी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए0पी0पी0 एवं गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन शराब तस्करी व नकबजनी का आदी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गेरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गेरसायल किसी भी रूप में शराब तस्करी एवं नकबजनी नहीं करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 835/2006 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 250/– रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 294/2013 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 16/54 राज. आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल दशरथसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत निवासी कोठार पुलिस थाना नाना को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना नाणा से निष्काषित कर पुलिस थाना आनन्दपुर कालु जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात से 30 दिन के लिये पुलिस थाना आनन्दपुर कालु जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी आनन्दपुर कालु जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल दशरथ सिंह, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना नाणा, गैरसायल दशरथसिंह को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना आनन्दपुर कालु, जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी आनन्दपुर कालु उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी नाणा पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना नाणा एवं थानाधिकारी आनन्दपुर कालु पाली को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली